

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़ (छ.ग.)

☎ 07762-224426 (O), 07762-222178 (R), 07762-226047 (F) E-mail: dfo-raigarh.cg@gov.in

क्रमांक/तक.अधि./ 3723

/2020/रायगढ़, दिनांक - 19/06/2020

प्रति,

**Executive Engineer,
CSPTCL EHT Construction
division Bilaspur, Near Tifra
Overbridge Bilaspur (C.G.)**

विषय :- Diversion of forest land non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for CONSTRUCTION work of 132 KV DCDS line to provide supply from 132/33 KV SS kondatarai to M/s NTPC Ltd. area- 9.589 ha.- regarding.

पंजीयन क्रमांक - FP/CG/TRANS/39462/2019

संदर्भ:- बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर का पत्र क्रमांक/तक.अधि./3535 बिलासपुर दिनांक 11.06.2020

विषयांतर्गत छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन लाईन कंपनी लिमिटेड द्वारा रायगढ़ जिले के रायगढ़ वनमण्डल अंतर्गत Construction work of 132 KV DCDS line to Provide supply from 132/33 KV SS Kondatarai to M/s NTPC हेतु कुल क्षेत्र 9.589 हे. वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव कार्यालयीन पत्र क्रमांक/तक.अधि./587 रायगढ़ दिनांक 19.05.2020 को वृत्त कार्यालय बिलासपुर को प्रेषित की गयी थी।

संदर्भित पत्र के माध्यम से उक्त व्यपवर्तन प्रस्ताव के निरीक्षण उपरांत 9 बिन्दुओं की कमियां पायी गयी है। अतः उक्त बिन्दुओं की पूर्ति कर मय दस्तावेज इस कार्यालय को अविलम्ब प्रेषित करें ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

वनमण्डलाधिकारी

रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़

पृ. क्रमांक/तक.अधि./ 3724

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

2020/रायगढ़, दिनांक :- 19/06/2020

1. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी

रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़